न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार** I, (RAS)

राजस्व वाद–पत्र संख्या :– **122/2024** GCMS 2024/230

प्रार्थी :–

1. हनुमानराम पुत्र बलभाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

वाद बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती शुद्धि बाबत् अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट 1955 व धारा 136 आरएलआर एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री भीकमचंद अधिवक्ता वादी की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 26/11/2024

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है मौजा ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 531/187 रकबा 0.5882 हैक्टर कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.7782 हैक्टर स्थित चली आ रही है। उपरोक्त खेत ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी खसरा नम्बर 177 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 531/187 रकबा 0. 5882 हैक्टर कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.7782 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर भूमि के तत्कालिन काबिज खातेदार नरेश कुमार सुण्डा पुत्र पदमाराम सुण्डा जाति जाट निवासी–ग्राम लालास तहसील कुचामन सिटी के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही थी जिन्होने तत्कालिन [illegible] रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र संख्या 202403471103344 दिनांक 10/06/2024 द्वारा मुझ वादी हनुमान राम पुत्र बलभाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तब से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा हूँ। उपरोक्त भूमि में जब क्रय की गयी तब विक्रय पत्र को ऑनलाईन करते समय मेरे पिता का नाम बालभा राम व मेरी ज़ाति जाट दर्ज कर दी गई जो कि मानवीय भूल है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम बलभाराम व मेरी जाति कुमावत है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मेरे पिता का नाम बालभा राम व जाति जाट दर्ज चला रहा है जबकि मेरे आधार कॉर्ड, वोटर लीस्ट में व राशन कॉर्ड इत्यिादी में मेरे पिता का नाम बलभा राम व जाति कुमावत दर्ज चली आ रही है व मेरे पिता के नाम व जाति की रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त कृषि भूमि में मेरे पिता के नाम बालभा राम व जाति जाट के स्थान पर मेरे पिता का नाम बलभा राम व जाति कुमावत दर्ज किया जावे इसलिए यह रिकॉर्ड दुरूस्ती नाम शुद्वि का वाद लाया जाना आवश्यक हुआ है जिसका वादी हकदार है।उपरोक्त भूमि का रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जावे जाने हेतु रिकॉर्ड दुरूस्ती का व्राद लाया जाना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा पटवारी हल्का को नाम के शुद्धि बाबत कहा तो उन्होनें साफ इनकार कर दिया और बताया कि ऐसा न्यायालय आदेश से होना ही सम्भव है। इस प्रकार यह वाद बामुकाम ग्राम दीपपुरा में पैदा हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है। मामला न्यायालय के क्षैत्राधिकार व समायत का है।

इस्तदुआ वादी यह है कि मौजा ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 0.09 हैक्टर, ख़सरा नम्बर 184 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 531/187 रकबा 0.5882 हैक्टर कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.7782 हैक्टर में मुझ वादी का 550/13891 वां हिस्सा के राजस्व रिकॉर्ड में मुझ वादी के पिता का नाम बालभा राम व जाति जाट का नाम दुरूस्त कर मेरे पिता का नाम बलभा राम व जाति कुमावत किया जाने का रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाने का आदेश श्रीमान तहसीलदार कुचामन सिटी को सादिर फरमावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी को नोटिस/तहरीर जारी कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा रिपोर्ट और प्रार्थी श्री हनुमानराम पुत्र बलभाराम निवासी दीपपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

के आधार कार्ड की प्रति, मतदाता परिचय पत्र की प्रति, राशनकार्ड की प्रति, बेचाननामा की प्रति पेश की गई।

वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 531/187 रकबा 0.5882 हैक्टर कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.7782 हैक्टर में प्रार्थी के पिता का नाम व प्रार्थी की जाति शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश :—

ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का दीपपुरा तहसील कुचामन सिटी सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 531/187 रकबा 0.5882 हैक्टर कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.7782 हैक्टर में प्रार्थी श्री हनुमानराम के पिता के अशुद्ध नाम बालभा राम के स्थान पर बलभा राम व प्रार्थी की अशुद्धि जाति जाट के स्थान पर जाति कुमावत संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना—कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:42:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/308 दिनॉक:– 27/11/2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व वाद सं. 122/2024 **GCMS 2024/230** हनुमानराम बनाम राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी में पारित आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 122/2024 **GCMS 2024/230** हनुमानराम बनाम राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी में पारित आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

सलंग्न:–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2024.12.13 11:42:07 IST
Reason: SelfAttested